उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (8) अनुभाग

संख्या-2/2017/260/15-8-2017-3003(2)/17

लखनऊ : दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री मोहित कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य, बाबू त्रिलोकी सिंह कालेज, काकोरी, लखनऊ को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2007-2008 में प्रदत्त विज्ञान शिक्षक सम्मान के दृष्टिगत सेवा विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में श्री तिवारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-608(एस/एस)/2017 योजित की गई जिसमें दिनांक 12.1.2017 को आदेश पारित किये गये। मा0 न्यायालय के आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"…..Accordingly, the writ petition is disposed of finally with the direction to the State Government to consider the aforesaid representation preferred by the petitioner expeditiously, say, within a period of six weeks from the date of production of certified copy of this order.

While apprising the State Government of this order, the petitioner shall annexe complete copy of the representation dated 21.12.2016. The decision by the State Government shall be taken within the time being prescribed herein above and in any case before the petitioner retires."

2- मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में याची द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 16.1.2017 एवं तत्संलग्न प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.16 को प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को दिनांक 18.1.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसमें याची द्वारा शासनादेश दिनांक 6.5.1982 (जो राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकगण के सेवा विस्तार के संबंध में है) के आधार पर सेवा विस्तार दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- शिक्षा निदेशक (मा0) के पत्र संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/3228/2016-17, दिनांक 31.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार याची वर्ष 2013 से प्रधानाचार्य, बाबू त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज, लखनऊ के पद पर कार्यरत हैं। याची को पूर्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा विज्ञान शिक्षक सम्मान सत्र 2007-08 प्रदान किया गया है।

प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात दो वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1772/15-(14)-30(67)/71, दिनांक 6.5.1982 में की गयी है। वर्तमान में शासनादेश संख्या-2033/15-8-2014-3078/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 द्वारा राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त अशासकीय विद्यालय के अध्यापकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा, उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम कार्य आचरण के आधार पर ऐसे शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के पश्चात 65 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार दिये जाने की व्यवस्था है, जो अद्यतन प्रभावी है।

........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- याची को राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। विभाग में विज्ञान शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतएव शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त याची श्री मोहित कुमार तिवारी को राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त न होने के दृष्टिगत सेवा विस्तार दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

तदनुसार रिट याचिका संख्या-608(एस/एस)/2017 मोहित कुमार तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.1.2017 के अनुपालन में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 16.01.2017 को निरस्त कर निस्तारित किया जाता है।

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
5. संबंधित संस्था प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
6. याची श्री मोहित कुमार तिवारी, 4/459 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( देवी शंकर शुक्ल )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।